

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
जगदीश कुमार पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल
निवासी बाली तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/214
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
07-05 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1737, 1947 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.8700 हैक्टर कुल लगान 13.0900 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बाली एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्दाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नीई, आर.ए.एस.

वादीगण
जगदीश कुमार पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल
निवासी बाली तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/214
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्ई व मिनजानिव मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1737, 1947 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.8700 हैक्टर कुल लगान 13.0900 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बाली एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/05/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्नीई)

सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

खसरा नक्शा एवं जमानंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 19/11/2024 11:50:41 AM


जिला : पाली
तहसील : बाली

तहसील : बाली
ग्राम : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बाली



1735



Scale 1:2000

खसरा संख्या : 1737 क्षेत्रफल : 0.6200 Hectare खाता संख्या : 225 पुराना खाता संख्या : 217

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी अच्चल [0.6200, 4.34]

- 1.) जगदीश कुमार पुत्र भोमाराम हिस्सा- 1/16 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
- 2.) दाकू पत्नि भोमाराम हिस्सा- 5/16 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
- 3.) मनोहर लाल पुत्र भोमाराम हिस्सा- 1/16 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
- 4.) सूरजमल पुत्र रतनलाल हिस्सा- 1/2 जाति- रावल सा. बाली खातेदार हिस्सा- 1/2 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा BALI
- 5.) सविता बामनिया पुत्री भोमाराम हिस्सा- 1/16 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

नरेश कुमार मोवारसू
शु. अ. नि. क्षेत्र. बाली
तहसील बाली जिला-पाली

जगदीश कुमार
सविता
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल... बाली
तह. बाली, जिला-पाली

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

तहसीलदार (भू.अ.) बाली